राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

क्रमांक : चु.अ.सा.प्र./2023/18863 दिनांकः

चुनाव–अधिसूचना

कुलपति महोदय के आदेश दिनांकः 07.07.2023 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी संघ (RUNTSA)/तकनीकी कर्मचारी संघ/सहायक कर्मचारी संघ के निम्न पदों के वार्षिक चुनाव–2023 दिनांक 21.07.2023 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होंगेः–

अशैक्षणिक कर्मचारी संघ (RUNTSA)	तकनीकी कर्मचारी संघ	सहायक कर्मचारी संघ
अध्यक्ष – 01 (एक) कार्यकारिणी सदस्य – 14 (चौदह)	अध्यक्ष – 01 (एक) उपाध्यक्ष – 01 (एक) महामंत्री – 01 (एक) संयुक्त मंत्री – 01 (एक) कोषाध्यक्ष – 01 (एक)	अध्यक्ष – 01 (एक) उपाध्यक्ष – 01 (एक) महामंत्री – 01 (एक) संयुक्त मंत्री – 01 (एक)

चुनाव–2023 निम्नानुसार आयोजित होंगेः

1. मतदाता सूची का प्रकाशन	13.07.2023 (गुरूवार) दोपहर 12.00 बजे तक
2. मतदाता सूची पर आपत्तियाँ	14.07.2023 (शुक्रवार) दोपहर 12.00 बजे तक
3. उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने की तिथि, समय व स्थान	15.07.2023 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक
4. नामांकन पत्रों की जांच	15.07.2023 (शनिवार) अपराह्न 2.00 बजे तक
5. योग्य प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन	15.07.2023 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
6. नामांकन पत्र वापिस लेने की तिथि, समय	17.07.2023 (सोमवार) दोपहर 12.00 बजे तक
7. प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	17.07.2023 (सोमवार) अपराह्न 1.00 बजे तक
8. प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह/बैलेट न. का आवंटन	17.07.2023 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक

(1)

विशेष सूचनाएँ

1. नामांकन पत्र सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा दिनांक 10.07.2023 (सोमवार) से प्राप्त किये जा सकते है।
2. नामांकन पत्र जमा करवाते समय स्वयं आवेदक, प्रस्तावक तथा अनुमोदक को परिचय पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर नामांकन फार्म के साथ संलग्न कर उपस्थित होना अनिवार्य हैं।
3. नामांकन पत्र शुल्क समस्त पदों हेतु रु. 500/– निर्धारित किया गया है, नाम वापस लेने की स्थिति में नामांकन शुल्क वापस नहीं होगा।
4. उप कुलसचिव (संस्थापन–द्वितीय) मतदाताओं की अद्यतन (Update) सूची दिनांक 12.07.2023 (बुधवार) तक चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने हस्ताक्षरों सहित 02 प्रतियों में (सोफ्ट कॉपी) उपलब्ध करावें।
5. दिनांक 13.07.2023 (गुरूवार) को मतदाता सूची प्रकाशित होने के पश्चात् मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नही होगा। मतदाता सूची में कर्मचारी/प्रत्याशी को अपने नाम की सुनिश्चितता दिनांक 14.07.2023 (शुक्रवार) तक करनी होगी।
6. प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में रु. 5000/– से ज्यादा का व्यय नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा चुनाव में रु. 5000/– से अधिक का व्यय किया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी नियमानुसार निरस्त कर दी जायेगी।
7. चुनाव में रैली निकालना/विश्वविद्यालय की दीवारों पर लिखना/पोस्टर चिपकाना व शोर–गुल करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसे प्रत्याशियों के विरूध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नामांकन रद्द किये जाने की प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।
8. चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

sd/-

(प्रो. रामेश्वर जाट)
चुनाव अधिकारी

क्रमांक : चु.अ.सा.प्र./ 2023/18864-964 — दिनांक: 7/7/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्राचार्य/प्राचार्या संघटक महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. मुख्य कुलानुशासक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उप कुलसचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. उप कुलसचिव, संस्थापन–द्वितीय, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मतदाताओं की अद्यतन (Update) सूची दिनांक 12.07.2023 (बुधवार) तक चुनाव अधिकारी/सामान्य प्रशासन अनुभाग को मय हस्ताक्षर 02 प्रतियों में (सोफ्ट कॉपी) उपलब्ध करावें।
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

07/7/2023

(प्रो. रामेश्वर जाट)
चुनाव अधिकारी

(2)